

संख्या: 14/15/494

तिथि: 15/02/2023

पावती समय: 07:53 AM

हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतु

अतारांकित प्रश्न

विषय बुढ़ापा पेंशन बनाने की प्रक्रिया में सुधार करने वारे

सूचना प्राप्ति दिनांक 15/02/2023

मंत्री: श्री मनोहर लाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में

प्राथमिकता, यदि कोई हो 5

प्रेषक:

श्री अमरजीत ढांडा(34), सदस्य

सेवा में

सचिव,
हरियाणा विधान सभा,
Delhi-1.

महोदय,
अतारांकित प्रश्न

भवदीय,

श्री अमरजीत ढांडा(34)

सदस्य

15/02/2023 07:53 AM

निर्वाचन क्षेत्र संख्या व नाम: 34 जुलाना

अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है बतलाने की कृपा करेंगे :

हर बुजुर्ग जो 60 साल पूरे कर लेता है उसको पेंशन का हकदार माना जाये इसको उसकी निजी इंकम से न जोड़ा जाये क्योंकि आज भी हमारे प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहने को तो संपत्ति के मालिक हैं लेकिन उनको उनकी जरूरत अनुसार खर्च नहीं मिलता है आज की सबसे बड़ी समस्या बुढ़ापा पेंशन बनाने की प्रक्रिया है जिससे 60 वर्ष पूरे होने के बाद भी लाभार्थियों को फायदा नहीं मिल पा रहा है और जो बेचारे दफतरों में जाने में समर्थ नहीं हैं उनकी पेंशन बनाने का कोई विकल्प निकालना चाहिए।